बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0- 3922253 पटना, दिनांक 07/04/2025

ग्रा0वि0-R-503/5/2021-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-134265)

श्री कृष्ण मुरारी, ग्रा॰वि॰से॰ (अनुक्रमांक-104288), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर (भोजपुर) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, नुऑव, कैमूर (भभुआ) के विरूद्ध 15वें वित्त आयोग की राशि स्थानांतरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में बरती गयी अनियमितता के आरोप पर जिला पदाधिकार, भोजपुर के पत्रांक-447 दिनांक-10.09.2021 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर दिनांक-25.03.2022 को श्री कुमार का स्पष्टीकरण विभाग में प्राप्त हुआ ।

जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री कृष्ण मुरारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1600280 दिनांक-27.02.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । विभागीय कार्यवाही में श्री कुमार को गलत लाभुकों को राशि हस्तांतरण करने, ऑनलाईन में गलत जियो टैगिंग करने का स्पष्ट रूप से दोषी पाये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-3160127 दिनांक-10.09.2024 द्वारा 'संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध प्रखंड कार्यालय, नुऑव (कैमूर) के पत्रांक-37 दिनांक-20.01.2025 द्वारा श्री मुरारी का पुनर्विलोकन अभ्यावेदन विभाग में प्राप्त हुआ । विभाग द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कृष्ण मुरारी के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे कि पूर्व में पारित आदेश को संशोधित किया जाय ।

अतः समीक्षोपरांत श्री कृष्ण मुरारी के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

4.4.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-03.doc-

ज्ञापांक:- 3932253 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 07/04/2025

का०परि० बही

ग्रा0वि0- R-503/5/2021-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-134265)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- यथोक्त।

ह०/- 7.4.25
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 3932253 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 07/04/2025

ग्रा0वि0- R-503/5/2021-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-134265)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, भोजपुर एवं कैमूर (भभुआ)/ उप विकास आयुक्त, भोजपुर एवं कैमूर (भभुआ)/जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर एवं कैमूर (भभुआ)/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री कृष्ण मुरारी, ग्रा०वि०से० (अनुक्रमांक-104288), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर (भोजपुर) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, नुऑव, कैमूर (भभुआ)/ आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- 7.4.25
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 3932253 / पटना, दिनांक :- 07/04/2025

ग्रा0वि0- R-503/5/2021-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-134265)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- 7.4.25
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-03.doc-